प्रेस नोट **24/12/2025**

हत्या के प्रयास मामले से संबंधित 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी द्वारा जनपद में लूट/चोरी/माफियाओं/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध के रोकथाम के क्रम में चलाये जा रहे संघन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार व क्षेत्राधिकारी मधुबन के कुशल निर्देशन व प्र0नि0 राजीव सिंह थाना मधुबन जनपद मऊ के नेतृत्व में उ0नि0 अभिषेक मिश्रा मय हमराह म0उ0नि0 प्रियंका यादय, हे0का0 सुरज प्रसाद गिरि व का0 धनन्जय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र व भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर, दिनांक 23.12.2025 को वादिनी श्रीमती सविता पत्नी अजीत चौहान निवासी मीरपुर मदरही द्वारा जमीनी विवाद को लेकर पट्टिदार द्वारा जान मारने की नियत से कुल्हाड़ी से हमला करने के सम्बन्ध में लिखाये गये मु0अ0सं0 418/2025 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण कमलेश पुत्र स्व0 श्यामू, आनन्द पुत्र कमलेश, अनीता पत्नी कमलेश निवासीगण ग्राम मीरपुर मदरही थाना मधुबन जनपद मऊ को अभियुक्तगण के घर ग्राम मीरपुर मदरही थाना मधुबन जनपद मऊ से एक बारगी दबिश देकर समय करीब 11.52 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर बजाफ्ता बकायता हिरासत पुलिस में लिया गया व गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता को म0उ0नि0 की मदद से थाना हाजा लाकर कार्यालय दाखिल कर महिला हेल्पडेस्क में बैठाया गया व अभियुक्तगण उपरोक्त को हवालात मर्दाना दाखिल किया गया । दौराने गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण/अभियुक्ता को बाद विधिक कार्यवाही कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. कमलेश पुत्र स्व0 श्यामू निवासी ग्राम मीरपुर मदरही थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. आनन्द पुत्र कमलेश निवासी ग्राम मीरपुर मदरही थाना मधुबन जनपद मऊ।
3. अनीता पत्नी कमलेश निवासी ग्राम मीरपुर मदरही थाना मधुबन जनपद मऊ ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय- अभियुक्तगण के घर ग्राम मीरपुर मदरही थाना मधुबन जनपद मऊ से समय करीब 11.52

गिरफ्तारीकर्ता पुलिस टीम:–

1. उ0नि0 अभिषेक मिश्रा
2. म0उ0नि0 प्रियंका यादय
3. हे0का0 सुरज प्रसाद गिरि
4. का0 धनन्जय कुमार थाना मधुबन जनपद मऊ।

थाना दोहरीघाट से गैंगेस्टर एक्ट मे वांछित 25000 रुपये का इनामिया अपराधी को थाना घोसी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ 0नि0अशोक कुमार सिंह मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा एक नफर गैगेस्टर एक्ट के मुकदमें मे वांछित अभियुक्त 1. संतोष सोनकर पुत्र पल्टू सोनकर निवासी ग्राम खानकाह बिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब वर्ष 45सम्बन्धित मु/208 0सं0अ0202 5 धारा) ख2XVII)/3(1) उ1986 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 0प्र0 जो कि थाना दोहरीघाट पर पंजीकृत है के वांछित अभियुक्त संतोष सोनकर पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था काफी प्रयास करने के उपरान्त भी न तो पुलिस के समक्ष और न ही मा ,न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो रहा था0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट भी जारी किया गया 0अभियुक्त संतोष सोनकर उपरोक्त के गिरफ्तारी हेतु मा था। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा 25000/रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था जिसके गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ अशोक सिंह मय हमराह 0नि0 देखभाल क्षेत्र तलास वांछित अभियुक्त संतोष सोनकर पुत्र पल्टू सोनकर निवासी खानकाह बिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजगमढ के घर पर दबिश देकर तथा एनबीडब्लू से नाम पता तस्दीक कर कारण गिरफ्तारी बताते हुये आज दिनांक 24.12.की सुबह 2025 समय करीब 04. बजे हिरासत पुलिस लिया गया । 00 गिरफ्तारशुदा अभियुक्त संतोष सोनकर उपरोक्त को नियमानुसार मान्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कि0या जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. मैं उ 0नि0अशोक कुमार सिंह
3. हे रत्नाकर सिंह यादव 0का0
4. काअनिल चौधरी 0
5. काअवनीश यादव 0
6. का 0बृजेश मिश्रा थाना घोसी जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध रमेश सिंह काका(प्रदेश स्तर का माफिया) सहित कुल 04 अभियुक्तो को 06 माह के साधारण कारावास की सजा व ₹10,000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 24-12-2025 को मु0अ0सं0 3167/2009 धारा 147,148,504,506 भा0द0वि0 थाना सरायलखन्सी मे धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्त रमेश सिंह काका(प्रदेश माफिया) पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी कैथवली, महेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 रामआधार, राजीव

सिंह पुत्र प्रभुनाथ सिंह निवासी बडी बकवल, गोपाल दूबे पुत्र गौरीशंकर दूबे निवासी कैथवली समस्त थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवं ₹10,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया। अर्थ दंड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंड भुगतना होगा।,

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह , प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया का सराहनीय योगदान रहा।

थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित के खाते में 11750/- धनराशि वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में साइबर फ्रॉड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय प्रताप सिंह व प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव सिंह के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा साइबर पुलिस पोर्टल पर शिकायतकर्ता संख्या 33104250049661 दिनांक 27.04.2025 को आवेदक महेश त्रिपाठी थाना मधबुन जनपद मऊ के साथ साइबर फ्रॉड द्वारा अपने खाते से गलती से दूसरे के खाते में पैसा चला गया था जिसके संबंध में आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी जिसके तहत थाना मधुबन में नियुक्त साईबर टीम उपनिरीक्षक दीपनारायण कुमार (नोडल अधिकारी), महिला उपनिरीक्षक प्रियंका यादव (सहायक नोडल अधिकारी) ,हेड ऑपरेटर पवन कुमार सिंह , आरक्षी अजीत कुमार पाल व महिला आरक्षी बिन्दू पटेल द्वारा तत्काल कार्रवाई करके पीड़ित महेश त्रिपाठी थाना मधबुन जनपद मऊ की फ्रॉड धनराशि होल्ड कराई गई थी जिसके तहत पीड़ित को दिनांक 24.12.2025 को आवेदक के कटे हुये सम्पूर्ण धनराशि 11750/-रुपये वापस कराए गए।